न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

	विशेष विवरण

निगरानी संख्याः– 16 / 2018

महादेव चौधरी पुत्र श्री रामदेव जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल जि
जयपुर।

निगरानी

बनाम

1. ग्राम पंचायत डूँगरसी का बास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डूँगरसी का बास त
किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
2. गलखू बेवा हरबक्श
3. अर्जुन पुत्र स्व0 श्री हरबक्श
4. सागर पुत्र स्व0 श्री हरबक्श
5. कल्याण पुत्र स्व0 श्री हरबक्श
6. रामजीवण पुत्र स्व0 श्री हरबक्श
7. रामकुंवार पुत्र स्व0 श्री हरबक्श
8. राजकरण पुत्र स्व0 श्री हरबक्श
9. जयपाल पुत्र स्व0 श्री हरबक्श
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चारणवास तहसील किशनगढ रेनवाल जला
10. तीजा पत्नी गणेश देवन्दा पुत्री हरबक्श जाति जाट निवासी महरियों वाला पचार
व जिला जयपुर।
11. झमरी पत्नी कजोड पुत्री हरबक्श जाति जाट निवासी ग्राम कुडियों का बास
किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
12. पतासी पत्नी गोपाल लाल कालीरावला पुत्री हरबक्श जाति जाट निवासी ग्राम मुण्ड
तहसील मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

विपक्षी / गैरनिग

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 बाबात खारिज कि
आदेश दिनांक 26.03.1997 प्रस्ताव संख्या 5 जिसके तहत पट्टा संख्या 9 दिनांक
1997**

निर्णय

दिनांकः– 30/0

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी
लगायत 12 के पति / पिता हरबक्श ने अपने हक में दिनांक 26.03.1997 को प्रस्ता
के द्वारा पट्टा संख्या 9 दिनांक 17.12.1997 पंचायतीराज अधिनियम व पंचायती
1996 के प्रावधानों के विपरीत जाकर सम्पूर्ण न्यायिक प्रकिया को दरकिनार करते हु
दर पर 1875 वर्गगज प्रति एक रूपये वर्गगज की दर से जारी करवा लिया। जिस
गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 12 जो उक्त ग्राम जिसमे उक्त पट्टा जारी कि
निवास ही नहीं करते, के उपरान्त दिनांक 12.07.2018 को मौके पर आकर निग
उसके परिवारवालों को उक्त जगह खाली करने पुख्ता मकानात लेट बाथ व पानी
धमकी दी तथा भूमि बेचान करने की धमकी दी।

रियायती दर पर नियम 158(1) व 158(2) में वर्णित अनुसार ही रियायती दर पर विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार व अधिकार था। पंचायती राज नियम 1996 के नियमों में कहीं भी 300 वर्गगज से अध्किा भूमि का आवंटन व पट्टा जारी करने का कोई नियम नहीं था। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमों के तहत मौके का अवलोकन करना चाहिए था उसके बाद अन्तिम विनिश्चय करना व नोटिस जारी व प्रकाशित करना आक्षेपों का निपटारा करना आदि प्रक्रिया के उपरान्त ही अर्थात नियम 146 से 149 की पालना कर पट्टा जारी करना चाहिए था। परन्तु इनकी अनदेखी की गई। अन्त में निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 26.03.1997 प्रस्ताव संख्या 5 पट्टा संख्या 9 दिनांक 17.12.1997 को निरस्त फरमाया जाये।

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में अंकित किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टे की आड में गैरनिगरानीकार संख्या 2 लगायत 12 द्वारा दिनांक 12.07.2018 को अपने पति/पिता के नाम पट्टा होना बताया तथा निगरानीकार को उक्त भूमि से अपना कब्जा हटाने के लिये तथा भूमि बेचान करने की बात कही। दिनांक 13.07.2018 को उक्त पट्टे संबंधी नकले प्राप्त करने पर सम्पूर्ण जानकारी हुई। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष बिना किसी देरी के उक्त शून्य व प्रभावहीन आदेश पर मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। अतः निगरानीकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर निगरानी को जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

निगरानीकार द्वारा निगरानी के समर्थन में आदेश दिनांक 26.03.1997 प्रस्ताव संख्या 5 एवं पट्टा संख्या 9 दिनांक 17.12.1997 की प्रमाणित प्रति तथा निर्वाचक नामावली सन् 2014 व 2018 संलग्न की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकारान को तामील नोटिस जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 5 एवं 10 लगायत 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैर निगरानीकार संख्या 6 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

गैर निगरानीकार संख्याा 6 लगायत 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब निगरानी में अंकित किया गया है कि विवादित पट्टे में वर्णित भूमि खसरा नंबर 45 गैर मु0 बाआदी का भग है। उक्त भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण के पति व पिता स्वर्गीय हरबक्स पुत्र गंगाराम का चला आ रहा है। जिस पर अप्रार्थी की माता सहित परिवार में कुल 8 सदस्य थे जिसके द्वारा ग्राम पंचायत मे पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर ग्राम की बाआदी भूमि में से पट्टा संख्या 9 दिनांक 26.03.1997 को जारी किया गया। क्त ग्राम जागीर ग्राम था जिसमें बजमाने जागीर रिजम्पशन से पूर्व से ही अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व0 क्त पुत्र गंगाराम पट्टेशुदा भूखण्ड पर काबिज था। मिन अप्रार्थीगण वर्तमान में पट्टेशुदा ान से 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चारणवास में निवास करने लगे हैं। ग्राम पंचायत अप्रार्थीगण के पिता के पुराने कब्जे के अधार पर 1875 वर्गगज भूखण्ड का जारी पट्टा कब्जे एवं संयुक्त परिवार होने के कारण अप्रार्थीगण के पिता के नाम जारी किया गया।

बजरिये जागीर के समय से कब्जा होने के कारण पुराने कब्जे के आधार पर परिवार के सदस्यों के नाम कब्जेशुदा भूखण्ड का एक ही पट्टा हरबक्श पुत्र गंगाराम के नाम जारी किया गया। अप्रर्थीगण के कब्जे की पुष्टि निगरानीधीन पट्टे के पडोसियान के मध्य विवाद होने पर ग्राम पंचायत के वार्ड पंचो एवं मोजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में प्राप्त मौका रिपोर्ट से अप्रार्थीगण के पति/पिता व अप्रार्थीगण के कब्जे की पुष्टि होती है। निगरानीकार का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। 21 वर्षों के अप्रत्याशित विलम्ब के पश्चात उक्त निगरानी प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाये।

जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में अंकित किया गया है कि निगरानीकार द्वारा वर्णित दिनांक 12.07.2018 की घटना मनगढंत है। जबकि अप्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 हरबक्श पुत्र गंगाराम के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है जो सही है। जिसे 21 वर्षों के पश्चात विलम्ब से निगरानीकार ने चुनौती दी है जो मियाद से माफी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विशेष कथन में अंकित किया गया है कि विधि की यह भी सुस्थापित मंशा है कि यदि मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई मियाद संबंधित पर्याप्तयुक्त कारण तकमील नहीं किया गया हो तथा ना ही दीर्घ अवधि से संबंधित प्रत्येक दिन की देरी बाबत कोई सन्तोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया हो तो न्यायालय से प्रार्थी डिले कन्डोन करवाने का अधिकारी नहीं है। निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में डिले कन्डोन किये जाने हेतु रीजनेबल सेटीसफेक्ट्री व प्रोपर कारण अंकित नहीं किये है। इसलिए निगरानी पेश करने में देरी के समय को कन्डोन करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैर निगरानीकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में CCC 1996(2) पेज 114, RBJ (6) 1999 पेज 139, RRD 1999 पेज 112, CCC 1998 (3) पेज 638, CCC 1998 (3) पेज 336, CCC 1997 (Suppl.) पेज 382, RLR 1998(1) पेज 123 के न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया है।

निगरानीकार की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत मौका कमिश्नर नियुक्ति कर मौका रिपोर्ट तलब करने बाबत पेश किया गया। जिसके जवाब में गैरनिगरानीकार द्वारा अंकित किया गया कि पट्टेशुदा भूमि पर गैर निगरानीकार का कब्जा है। कब्जे की रिपोर्ट हेतु कमिश्नर नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मौके कब्जा रिपोट्र तलब करने की आड निगरानीकारान जबरन अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उनके कब्जेशुदा बाडे निगरानीधीन पट्टे के भू भाग में जबरन प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। अतः मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक नहीं है।

तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा निगरानी एवं जवाब निगरानी में अंकित तथ्यों का कथन किया।

मैंने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, मूल रिकॉर्ड एवं न्यायिक दृष्टांतो का सम्यक अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

के अवलोकन से सत्यता की जांच करना है। न्यायालय किसी का पक्षधर नहीं होता और
ही किसी एक पक्षकार के पक्ष में कोई साक्ष्य सृजित करने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति

यह अनिवार्य है कि उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत क
वास्तविक स्थिति पूर्णतः स्पष्ट करे। अतः प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त करने
अस्वीकार किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण का विवाद बिन्दू प्रश्नाधीन पट्टा है। मूल पट्टा 1875 वर्गगज भू
का है। मूल पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैरनिगरानीकार को आवंटित पट्टा पंचायत
विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही जारी किया है। जहां तक पंचायत राज नियम 158 का प्रश्न
प्रश्नाधीन पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 की धारा 266 के अन्तर्गत जारी कि
गया है। अतः पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दर्शित नहीं होती है। इस
अतिरिक्त निगरानीकार को पट्टा जारी होने के लगभग 21 वर्ष पश्चात तक पट्टे के संबंध
जानकारी नहीं होना भी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। इतने लम्बे समय बाद पंचा
द्वारा जारी पट्टे के संबंध में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें विलम्ब के सबंध में भी क
स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया है। पंचायत द्वारा इतने वर्ष पूर्व जारी पट्टे में कि
प्रकार का हस्तक्षेप करना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर निगरानीकार की निगरानी याचिका खारिज
जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर तकर्म
नम्बर से कम की जावे।

(हिम्मत सिंह बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय, जय